न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 124 / 2024 निर्णय दिनांक :– 19/6/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

गणेश लाल पुत्र पोखरलाल जाति जाट निवासी खाल्ला की ढाणी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 –प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री राजेश कुमार नागर अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक गरीब पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 1844 / 1687 रकबा 0.2400 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जो हाल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में अंकित है। प्रार्थी ने पूर्व में उक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया जिसको की प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमि के आस पास के खेत वाले काश्तकार ने उक्त सीमाज्ञान के चिन्हों का मिटा दिया है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के आस पास अन्य काश्तकारों की भूमि स्थित है जिन्होने प्रार्थी की भूमि दबा रखा है तथा प्रार्थी की भूमि कम पड रही है तथा अडोसी पडोसी ने सीमा चिन्ह मिटा रखे है जिससे आय दिन अन्य काश्तकारों से विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण को अर्थिक नुकसान हो रहा है हमेंशा विवाद होने का डर बना हुआ है। प्रार्थी की उक्त भूमि मौके पर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक नही है तथा मौके पर कम पड रही है तथा सीमा चिन्ह नही है इसलिए प्रार्थी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त आराजीयात की नियमानुसार

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढी किए जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :— उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व अन्य किसी का कब्जा काश्त नही है। आवेदक का पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नही है। उक्त भूमि के सम्बंध में कोई विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074—77 में खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 1844/1687 रकबा 0.2400 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner